

प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 15.07.2024

सरकारी धन गबन करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना एम्स के नेतृत्व में उ0नि0 रविन्द्र सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना कैण्ट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 289/2022 धारा 409 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त रोहित कुमार चौधरी पुत्र हीरा लाल निवासी 469 आवास विकास कालोनी कूड़ाघाट गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वर्ष 2022 में अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार निलंबित डाक सहायक, उप डाकघर कूड़ाघाट के द्वारा उप डाकघर कूड़ाघाट के विभिन्न खाताधारकों के बचत खातों में पड़े कुल 45,26,234 (पैतालिस लाख छब्बीस हजार दो सौ चौतिस) रूपये अभियुक्त रोहित चौधरी के खाते में अनियमित रूप से स्थानान्तरित कर सरकारी धन के दुर्विनियोजन किया गया था। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29.04.2022 को वादी मुकदमा निरीक्षक श्री सी0 बी0 सिंह डाकघर पूर्वी उप मंडल गोरखपुर थाना एम्स पर प्रार्थना पत्र देकर अभियुक्तगण 1. शैलेन्द्र कुमार निलंबित डाक सहायक कूड़ाघाट उप डाकघर स्थान जीआरडी कैम्पस कूड़ाघाट गोरखपुर स्थानीय पता मुहल्ला निवमनीचक पोस्ट मसौढी वाया पटना जिला पटना बिहार 2. रोहित कुमार चौधरी पुत्र हीरा लाल निवासी 469 आवास विकास कालोनी कूड़ाघाट गोरखपुर के विरुद्ध थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोहित कुमार चौधरी पुत्र हीरा लाल निवासी 469 आवास विकास कालोनी कूड़ाघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 289/2022 धारा 409 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

उ0नि0 रविन्द्र कुमार सिंह, थाना एम्स जनपद गोरखपुर